राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

क्रमांक:–एफ 3(1)जांच/पराविं/जालौर/06/ 245 जयपुर,दिनांक 15-1-08

**आदेश**

विभागीय आदेश क्रमांक 172 दिनांक 20.1.2006 द्वारा श्रीमति दाखू देवी, सरपंच ग्राम पंचायत रायथल,पंचायत समिति आहोर, जिला जालौर को परिनिर्णय लेखबद्ध एवं अन्तर राशि रूपये 48562.00 मय दण्डनीय ब्याज के वसूल किये जाने के आदेश पारित किये गये थे ।

आरोपी सरपंच द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध राज.पं०राज अधिनियम,1994 की धारा–97 के अन्तर्गत राज्य सरकार के समक्ष पुनर्विचार याचिका प्रस्तुत की गई । राज्य सरकार द्वारा पुनर्विचार याचिका स्वीकार करते हुए दस्तावेजों का परीक्षण कर उक्त विभागीय आदेश क्रमांक 172 दिनांक 20.1.2006 को अन्तिम निर्णय होने तक स्थगित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये ।

इसी क्रम में आरोपी सरपंच द्वारा निगरानी भी प्रस्तुत की गई, जिसे राज्य सरकार द्वारा स्वीकार किया जाकर सुनवाई का अवसर दिया गया । राज्य सरकार द्वारा सुनवाई के दौरान निगरानी मय दस्तावेजों का परीक्षण किया जाकर निगरानी को निरस्त करने एवं स्थगन आदेश दिनांक 20.1.2006 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया ।

अतः राज्य सरकार श्रीमति दाखू देवी सरपंच,ग्राम पंचायत रायथल,पंचायत समिति आहोर,जिला जालौर के विरूद्ध लंबित निगरानी एवं विभाग द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 20.1.2006 को निरस्त करते हुए आरोपी सरपंच को सरपंच पद से अयोग्य घोषित करते हुए राज0प0राज अधिनियम की धारा–39(2) के अन्तर्गत पद रिक्त घोषित किये जाने के आदेश प्रदान करती है।

आज्ञा से,

शासन सचिव एवं आयुक्त
राज0,जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1– विशिष्ठ सहायक,मा0 पंचायती राज मंत्री महोदय,राज0,जयपुर ।
2– जिला कलेक्टर जालौर ।
3– उप सचिव (एस)मा0मुख्यमंत्री महोदय,राज0,जयपुर को उनके पत्रांक 27068 दिनांक 25.6.05 के संदर्भ में ।
4– मुख्य /अति0मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद जालौर ।
5– विकास अधिकारी, पंचायत समिति आहोर,जिला जालौर
6– श्रीमति दाखू देवी, सरपंच, ग्राम पंचायत रायथल,पंचायत समिति आहोर, जिला जालौर
7– आदेश पत्रावली ।

अवर सचिव(जांच)
राज0,जयपुर ।